



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-27098
46. E-mail: spdrmsaraj@gmail.com



क्रमांक:-रामाशिप / जय / सीएसआर / 2017/7910

दिनांक 02/11/2017

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,
समस्त जिले।

विषय: मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में अधिक से अधिक सहयोग बाबत।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने सामुदायिक सहभागिता एवं सीएसआर योगदान हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल की स्थापना की है। इस पोर्टल का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 5 अगस्त, 2017 को किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को गोद लेने, सीएसआर प्रोजेक्ट बनाने, पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट को सहयोग करने तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में अंशदान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में अंशदान ऑनलाईन (gyansankalp.nic.in) पर जाकर ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के सभी अधिकारी/कर्मचारियों ने भी एक दिवस का वेतन स्वैच्छिक रूप से मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दिया है।

आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं एवं आपके कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से मुख्यमंत्री विद्यादान कोष भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 37015883871 में एक दिवस का वेतन देने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दी गई राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत छूट योग्य है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में सहयोग हेतु अन्य को भी प्रोत्साहित करने का श्रम करें।

(आनन्दी)

राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप जयपुर।

www.rajteachers.com